न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2010/00191 (04/2010)

1. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 जगदीशचन्द्र (फौत)

   1/1 गिरीश कुमार हरित पुत्र स्व0 श्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी गांव सिरोही तहसील नीम का थाना जिला सीकर (राजस्थान) हाल आबाद डी 17 द्वारकापुरी संजय कॉलोनी नेहरू नगर जयपुर।

   1/2 बरखा शर्मा पुत्र स्व श्री श्यामसुन्दर, धर्मपत्नी श्री अरूण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एस.एल./162–सी–5 गुलमोहर ट्रैड, डोकली, जिला मोहाली, जिरकपुर (पंजाब)

   1/3 रितु शर्मा पुत्री स्व0 श्री श्यामसुन्दर धर्मपत्नी श्री मनोज शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी एच 1455, संघी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

   1/4 शिशिरा शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्यामसुन्दर धर्मपत्नी श्री अलौक शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राउण्ड फ्लौर, शाली मार्ग गार्डन एक्सटेंशन साहिबाबाद गाजियाबाद उ0 प्र0

2. श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री कपिल शर्मा पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द्र आयु 48 जाति ब्राह्मण निवासी गांव सिरोही तहसील नीम का थाना जिला सीकर (राजस्थान)

3. हिमांशु
4. सुधांशु
5. स्नेहांशु

} पुत्रगण स्व0 श्री कपिल शर्मा पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीयान गांव सिरोही तहसील नीम का थाना जिला सीकर (राजस्थान)

6. अनिता (पुत्री स्व0 श्री कपिल शर्मा) धर्मपत्नी श्री राजेश भारद्वाज जाति ब्राह्मण निवासी 730 विजय नगर कॉलोनी पीएनबी के पीछे अलवर।

7. महेशचन्द्र शर्मा पुत्र जगदीश चन्द्र आयु 54 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी गांव सिरोही तहसील नीम का थाना जिला सीकर (राजस्थान) हाल आबाद 1/12 आई.आर. विलीलियस लेन हावड़ा। (पश्चिमी बंगाल [illegible]

8. दिनेश कुमार पुत्र जगदीश [illegible] निवासी गांव सिरोही तहसील नीम का थाना जि[illegible] हाल आबाद 1–ज[illegible] रोड मरीनाहाली, विजय नगर, बंगलौरू, कर्नाटक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

9. सुमनेश हरित पुत्र जगदीश चन्द्र आयु 43 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी गांव सिरोही तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान, हाल आबद डी –17 द्वारकापुरी संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर।

10. उमा शर्मा पुत्र स्व0 श्री जगदीश चन्द्र धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र कुमार कौशिक जाति ब्राह्मण निवासी पाटन पोस्ट ऑफिस पाटन तहसील नीम का थाना जिला सीकर, राजस्थान। – अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेन्द्र } पुत्रगण स्व0 श्री श्योचन्द्र जाति यादव निवासी चक भोजासर
2. नरेन्द्र } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा –– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री द्वारा उपखण्डाधिकारी, भादरा, दिनांक 12.06.2003 प्रकरण संख्या 252/2003 बअनवानी सुरेन्द्र आदि बनाम श्यामसुन्दर आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट सं0 1 व 2 की ओर से
श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक – 15.03.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिकारो की घोषणा के सम्बन्ध में एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें चक 1 एमएसआर की कुल 25 बीघा को श्योचन्द से इकरारनामा दिनांक 15.02.1968 से खरीद करना बताया एवं कब्जा सौंपने का कथन किया। खरीद के समय से भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना कथन करते हुए प्रतिकूल धारण का अभिवचन करते हुए प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार घोषणा करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद वादी डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत, अनुचित , विधि विरूद्ध, मनमाना व एकपक्षीय है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन की अपीलाण्ट्स पर कभी तामील नहीं हुई ना ही अपीलाण्ट्स ने सम्मन प्राप्त करने से इन्कार किया है। वस्तुतः अपीलाण्ट को जहां के सम्मन भेजे गये है वे वहां निवास नहीं करते हैं। सम्मन पर हुई तामीली रिपोर्ट भी फर्जी व विधिविरूद्ध है। किस व्यक्ति के सामने प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से इन्कार किया तथा जिस व्यक्ति ने प्रतिवादीगण की पहचान की है उस व्यक्ति का पूरा पता व वल्दियत भी अंकित नहीं है। समस्त सम्मनों पर एक ही समय में एक ही व्यक्ति की मौजूदगी में लेने से इन्कार की रिपोर्ट अंकित की गई है। तामील फर्जी है जो दण्डनीय अपराध है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध विधि विरूद्ध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। वाद पत्र प्रस्तुत किया गया उस दिन 23.04.2003 को प्रतिवादी संख्या 2 कपिल फौत था तथा उसकी मृत्यु दिनांक 15.07.2001 को हो चुकी थी। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय मृतव्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है। जगदीश चन्द्र के विधिक प्रतिनिधि में उसकी पुत्री अपीलाण्ट संख्या 10 भी थी जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेंण्ट ने अपने वादपत्र की चरण सं0 8 में समस्त प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार किये जाने का वाद हेतुक प्रकट करते हुए वाद पत्र पेश किया है बल्कि प्रतिवादी कपिल तत्समय जीवित नहीं था ऐसी स्थित में वाद हेतु भी मिथ्या व मनघडन्त है। रेस्पोडेण्ट कब्जा मुखालफाना होने के आधार पर खातेदारी अधिकारें की घोषणा चाही। रेस्पो0 सं0 1 व 2 के अभिवचनों व प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से प्रश्नगत भूमि पर प्रतिकूल धारण सिद्ध नहीं होता। प्रश्नगत भूमि पर इकरारनामा के आधार पर अनुमति अधीन व साथ साथ मुखालफाना कब्जा से सम्बन्धित थे ये दो अभिवचन परस्पर विरोधाभाषी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल धारण परिपक्व होना मानकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। गैर खातेदारी भूमि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी में नहीं दी जा सकती है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट को आध बटाई पर देते रहे है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। डिले कन्डो[illegible] अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि जगदीश चन्द्र स्व0 जगदीश चन्द्र द्वारा इकरारनामा के द्वारा [illegible]रित कर चुके थे एवं कब्जा भूमि का सौंपा जा चुका है एवं अर्सा दराज से प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 1, 2, के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

का उनके जीवनकाल में तत्पश्चात् उनके फौत होने पर रेस्पो० सं० 1 व 2 काबिज चले आ रहे है। अब जगदीश चन्द अथवा उनके वारिसान श्री जगदीश चन्द्र द्वारा किये गये कथनों से विबन्धित है एवं चूकी उनके द्वारा प्रश्गनत भूमि गैर खातेदारी के रूप में हस्तान्तरित की गई थी तो जगदीश चन्द्र का स्वत्व इस भूमि में नहीं रहा है ना ही अब वे स्वत्व प्राप्त कर सकते हैं। विधिक प्रावधानानुसार अपीलाण्ट प्रश्गनत भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्वत्व हासिल नहीं कर सकते है। इकरारनामा की अनुपालना में समस्त राशि भी श्री जगदीशचन्द्र प्राप्त कर चुके थे। इकरारनामा चूंकि गैर खातेदारी का था इसलिए धारा 13 ए उप० अधिनियम के तहत उसकी शमनफीस भी रेस्पो० ने जमा करवा दी थी । अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अत अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलटी 84–पार्ट–1 पेज 416 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने घोषणा का वाद पेश किया था जो स्वीकार किया गया और चक 1 एम.एस.आर. की 6.325 है० भूमि का उन्हें खातेदार घोषित किया गया है। अपीलाण्ट का अपील में मुख्य आधार यह है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से सम्मन की तामील नहीं करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सम्मन में तामील कुनिन्दा ने चक 1 एमएसआर में प्रतिवादीगण को की तामील करवाने कहां गया तथा किस व्यक्ति के सामने प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से इन्कार किया तथा जिस व्यक्ति ने प्रतिवादीगा की पहचान की है उस व्यक्ति का पूरा पता व वल्दियत भी अंकित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 कपिल दिनांक 23.[illegible].2003 को जीवित हीं नहीं था कपिल की मृत्यु दिनांक 15.07.2001 को हो चुकी थी फिर भी उसके [illegible] लेने से इंकार अंकित किया गया है। इस प्रकार तामील सिविल प्रक्रिया संहिता [illegible] आदेश 5 नियम 18 से 20 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाधीन [illegible] एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई तथा अविधिक तामील के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

एवं डिक्री यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2003 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 15.3.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

15/3/21

(करतारसिह पूनीयॉ)
आर.एएस प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner